| ** | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रपन्न |
| 令司 | ब्रह्माबित किया जाता है कि भी "कि निर्माशानी |
| 5% | बातमब श्री निवासी निवासी निवासी निवासी जिला सहार्य ही कि |
| 令 | इतर प्रदेश के धार्या ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जुननाति के व्यक्ति हैं। |
| 以 | का बनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। |
| | श्री/श्रीमती/कुमारी और/अयवा उनका |
| | परिवार प्रदेग में सामान्यता रहेगा है। |
| | कर समाण पत्र लेखापाल/संश्रीतनगों की रियोर्ट के आधार पर दिया जाता है। |
| 令 | दिनांक - 27/7/9) - हस्ताक्षर व प्रकारिका Saharanpin |
| * | 現で 0 2) 7 195 章 1 20 章 4 章 4 章 4 章 4 章 4 章 4 章 4 章 4 章 4 章 |
| 4 | |